भारत का सर्वोच्च्च न्यायालय

आपराधिकअपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपीलीय संख्या 1794 से 1796/2017

प्रह्लाद - अपीलकर्ता (ओं)

बनाम

राजस्थान राज्य - प्रतिवादी (ओं)

आदेश

1. ये अपीलें डी. बी.आपराधिकहत्या (मृत्यु) संदर्भ संख्या-01/2015, डी. बी.आपराधिक अपील संख्या 970/2015, और डी. बी. आपराधिक जेल अपील संख्या 1011/2015 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2016 को पारित निर्णय के खिलाफ दोषी अभियुक्त/अपीलकर्ता (जिसे इसमें इसके बाद 'अभियुक्त'कहा गया है) द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। आक्षेपित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने जिला और सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़,द्वारा दिनांक 18.9.2015 को पारित निर्णय की पुष्टि की, जिसमें भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत

दंडनीय अपराध करने के लिए और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (इसके बाद 'पॉक्सो अधिनियम'के रूप में संदर्भित),की धारा 3 और 4 के तहत 2013 के सेशन केस संख्या-149 में मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई गई।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि मुखबिर प्रभु लाल की लगभग 8 वर्ष की नाबालिग बेटी (एक्स) को 5.7.2013 को शाम 4.00 बजे ले जाया गया था, जब वह मुखबिरके घर में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। आरोपी उसे एक दुकान से चॉकलेट देने के बहाने ले गए। हालांकि, नाबालिग पीड़ित (एक्स) वापस नहीं आई। सूचनादेनेवाला, उसका भाई भंवर लाल और परिवार के अन्य सदस्य उस शाम घर में नहीं थे और उन्हें बाद में मुखबिर की भतीजी लाली द्वारा घटना की जानकारी दी गई जब वे अपने घर वापस आए। उन्होंने रात भर लड़की की तलाश की, हालांकि सुबह मुखबिर के लिए त्रस्त करने वाली बात यह थी की गौतम मीणा के बेटे नागजी के घर के पास एक्स का शव मिला। आरोपी के खिलाफ बलात्कार और हत्या के आरोपों के साथ 6.07.2013 को दोपहर 1 बजे एक्स के पिता द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। निचली अदालत ने रिकॉर्ड में मौजूद तत्वों के मूल्यांकन के बाद आरोपी को भा.दं.सं. की धारा 302 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराया।

परिणामस्वरूप, निचली अदालत ने इस मृत्युदंड की पुष्टि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के अधीन उच्च न्यायालय को संदर्भित किया। आरोपी ने फैसले और दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील भी की और दोषमुक्ति की मांग की। संदर्भ की अनुमति दी गई और दोषी अभियुक्त द्वारा दायर अपीलों को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

3. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, जो हमें अभिलेख पर तत्वों का हवाला देते हुए निवेदन करते हैं कि निचली अदालत द्वारा भा.दं.सं. की धारा 302 के अधीन और साथ ही पोक्सो अधिनियम की धारा4 के अधीन अपराधों के लिए अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराना न्यायोचित नहीं है। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका है और ये परिस्थितियां विधिवत साबित नहीं हुई हैं। वह आगे तर्क देते हैं कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण नहीं है और इसलिए अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है। वह यह भी निवेदन करता है कि, पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दण्ड के लिए उसके खिलाफ रिकॉर्ड पर नितांत रूप कोई सबूत नहीं पाया गया है। अंत में, वह निवेदन करता है कि अभियुक्तों पर मृत्युदंड देना अवैध है, और यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम नहीं है।

इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता नीचे की अदालतों के निर्णयों के समर्थन में तर्क देते हैं।

4. वर्तमान मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है। पी डब्लू 1, 2, 3 और 4 के साक्ष्य स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि मृतक की मां आरोपी को अपना भाई मानती थी, और राखी त्योहार के अवसर पर, वह आरोपी के हाथ पर राखी भी बांधती थी। इसलिए, मुखबिर का बच्चा आरोपी को एक मामा के रूप में मान रहा था और यह तथ्य सभी ग्रामीणों को भी पता था क्योंकि आरोपी मुखबिर के घर अपने रिश्तेदारों में से एक के रूप में जाता था। मुखबिर के परिवार के सभी सदस्यों ने आरोपी पर भरोसा किया। चूंकि मृतक आरोपी को अपने मामा के रूप में मानती थी, इसलिए उसके पास से चॉकलेट लेने के लिए उसके साथ जाने के प्रस्ताव पर अविश्वास करने या संदेह करने का कोई कारण नहीं था।

5. पी डब्लू 2, लाली उर्फ ललिता ने अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त मुखबिर के घर आया और उसकी बेटी को अपने साथ ले गया। पी डब्ल्यू4, चमेली ने यह भी बयान दिया है कि, घटना की तारीख पर, आरोपी नाबालिग पीड़िता को चॉकलेट देने के बहाने ले गया और यह भी बयान दिया कि, घटना के समय, बच्ची 8 वर्ष की थी। पीड़ित के परिवार के साथ आरोपी के सौहार्दपूर्ण संबंधों के कारण, पी डब्लू 2 और 4 ने सोचा कि आरोपी बच्ची को बिना किसी गलत इरादे के उसे वास्तव में चॉकलेट दिलाने के लिए ले गया था।

6.पीडब्ल्यू 2 और 4 के साक्ष्य के साथ-साथ मुखबिर पीडब्ल्यू 1 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के साथ मुखबिर को परिवार के सदस्य की तरह माना जाता था और यह कि नाबालिग पीड़िता का विश्वास था कि जिस तरह उसका परिवार अभियुक्त पर विश्वास करता था, वो उसके मामा की तरह है, जिसके कारण, पीड़िता को चॉकलेट और टॉफी की पेशकश करने के बाद वो उसके साथ चली गई। अंतिम बार देखी गई परिस्थितियों के संबंध में साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह समर्थन करता है।

7. पी डब्ल्यू-5 सत्तू एक दुकानदार है जिससे अभियुक्त ने चॉकलेट, बिस्किट और मिराज खरीदा। पी डब्ल्यू-7 श्यामलाल की साक्ष्य दुकान से चॉकलेट और मिराज की खरीद से संबंधित पीडब्लू-5 की साक्ष्य का भी समर्थन करता है। पी डब्ल्यू 9, दशरथ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का भी समर्थन करता है, विशेष रूप से पी डब्ल्यू-1 के साक्ष्य का।

8. पी डब्लू-10, डॉ. ओ. पी. दायमा, दो अन्य डॉक्टरों के साथ मेडिकल बोर्ड के सदस्य हैं जिन्होंने पीड़ित के मृत शरीर का परीक्षण किया। उन्होंने मृत लड़की की योनि से धब्बे (स्मीयर)को संरक्षित किया, स्लाइड तैयार की और उसे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा। पी डब्ल्यू 10 ने बयान दिया कि मेडिकल जांच में पीड़िता की जांघों, दाहिने पैर, नाक और दाहिनी कलाई पर पांच चोट के निशान पाए गए।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में, पी डब्ल्यू-10 ने कहा कि मौत का कारण रक्तस्राव सदमा था। पी डब्लू -11, डॉ. नीलम गुप्ता ने पोस्टमॉर्टम जांच की कार्यवाही के साथ-साथ कायम की गई राय को भी दोहराया।

9. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के कथन से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि उसने पीड़िता का साथ कब छोड़ा । इसके अलावा, पीड़िता के लिए चॉकलेट लेने के बाद क्या हुआ, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अभियुक्त की ओर से ऐसे मामले में मौन होना जिसमें उससे अपेक्षा की जाती है वह कोई स्पष्टीकरण दें, आरोपी के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकलता है।

10. हम पाते हैं कि अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त तत्व है। अभियोजन द्वारा भरोसा की गई सभी परिस्थितियां साबित हुईं जिससे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के संबंध में परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण हुई है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय तथ्यों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए न्यायोचित हैं। हालांकि, हम पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए आरोपी के खिलाफ विश्वसनीय तत्व खोजने में असमर्थ रहे हैं।

11. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पीड़ित के शरीर पर निम्नलिखित चोटों का पता चला हैः

1. बाएं जांघ पर अग्र घुटने पर 3x1 सेमी।

2. दाहिने पैर पर 6x1 सेमी.

3. दाहिनी जांघ पर 2x1 सेमी खरोंच

4. नाक पर 1x1.5 सेमी.

5. दाहिनी कलाई पर 1x1 सेमी.

मुख्य परीक्षण में ही, चिकित्सक पी डब्लू -10जिन्होनें शव परीक्षण किया था, यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पीड़ित के जननांग सामान्य थे। डॉक्टर ने आगे कहा कि मृतक की मृत्यु गंभीर रक्तस्राव के कारण हुई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-15 है। प्रतिपरीक्षा में, डॉक्टर ने स्वीकार किया है कि उपरोक्त सभी पांच चोटों की प्रकृति सरल है और उनके गिरने के कारण होने की संभावना है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लिखित बायीं पसली संख्या 10 और 11 पर फ्रैक्चर किसी पत्थर पर गिरने के कारण हो सकता है। पी डब्ल्यू-10 ने आगे कहा कि मृतक के जननांग स्वस्थ थे और मृतक के निजी अंगों पर कोई चोट के निशान नहीं थे। मृतक के जननांगों के पास बाहरी त्वचा पर शुक्राणु स्खलन के संकेत भी नहीं पाए गए थे। मृतक के सिर पर कोई चोट नहीं थी। डॉक्टर ने आगे

कहा कि जब किसी कोमल लड़की के साथ जबरन संभोग किया जाता है, तो उसकी योनि के फट जाने और उसके जननांग से खून बहने की संभावना होती है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। योनि स्वैब के संबंध में एफएसएल रिपोर्ट, जिसे जांच के लिए भेजा गया था, अभियोजन पक्ष के लिए पोक्सो अधिनियम की धारा 3और 4 के तहत अपराध साबित करने में सहायक नहीं है।

8.अभियोजन, व्यावहारिक रूप से केवल पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध साबित करने के लिए डॉक्टर के साक्ष्य पर निर्भर करता है। POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई अन्य तत्व रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। हालांकि, बच्चे की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा आदि या शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश करने के प्रमाण नहीं मिले हैं। निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी यौन उत्पीड़न के अपराध से संबंधित साक्ष्य को गहराई से नहीं देखा है। कुछ अनौपचारिक टिप्पणियां की गई हैं जो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं। पी डब्ल्यू-10 डॉक्टर के उपरोक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यौन उत्पीड़न के आरोप को साबित करने के लिए कोई अन्य विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद नहीं है, यानी पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 में वर्णित कोई भी कृत्य, हमारी राय है कि

निचली अदालत और उच्च न्यायालय पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने में न्यायसंगत नहीं है। उच्च न्यायालय के फैसले से हमें पता चलता है कि पॉक्सो के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए बिल्कुल कोई कारण नहीं दिया, कोई वैध कारण तो बिल्कुल भी नहीं दिए गए।

चूंकि पोक्सो अधिनियम के पूर्वोक्त अपराध के लिए अभियुक्त के विरुद्ध कोई विश्वसनीय तत्व उपलब्ध नहीं है, इसलिए संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में जाएगा। अंतःकरण की संतुष्टि के लिए और आरोप की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए,रिकॉर्ड पर समस्त तत्वों को खँगालने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जहां तक पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, आरोपी को संदेह का लाभ दिए जाने की आवश्यकता है।

12. चूंकि हमारी सुविचारित राय में, अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपराध के लिए दोषमुक्त किया जाना है, इसलिए यह उस पर मृत्युदंड अधिरोपित करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और न ही वह आदतन अपराधी है। हत्या के अपराध के लिए उद्देश्य स्पष्ट नहीं है और निश्चित रूप से यह सामान्यतया छिपा हुआ है, जिसे केवल अभियुक्त ही जानता है। ऐसी परिस्थितियों में अदालत को यह देखना होगा कि

क्या मामला दुर्लभ से दुर्लभ श्रेणी में आता है। प्रासंगिक समय के दौरान आरोपी भी युवा था। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह यह दिखाए कि अभियुक्त के सुधार या पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है। जब अपराध वीभत्स नहीं है, न ही क्रूर हत्या है और न ही पैशाचिक तरीके से किया गया है, तब न्यायालय आजीवन कारावास अधिरोपित करेगा। वर्तमान मामले में, गंभीर कारकों की तुलना में कम करने वाले कारक अधिक हैं। इस मामले में एकमात्र गंभीर कारक यह है कि आरोपी ने पीड़िता के परिवार में अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए नाबालिग लड़की की हत्या कर दी जबकि नाबालिग लड़की आरोपी को अपना मामा मानती थी।

13. हम यह नहीं पाते कि हत्या अत्यधिक क्रूरता के साथ की गई है या इसमें असाधारण दुराचार शामिल है। दूसरी ओर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभियुक्त युवा था और भविष्य में उसके द्वारा हिंसा के आपराधिक कार्य करने की संभाव्यता अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। इस बात की पूरी संभावना है कि आरोपी को सुधारा जा सकता है और उसका पुनर्वास किया जा सकता है। इस संदर्भ में, '*बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य'(*1980-2 एससीसी 684)वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता हैः

“209. कम सजा के पारित होने को सही ठहराने वाली कई अन्य परिस्थितियाँ भी हैं; जैसे की अतिरेक की प्रतिकारी परिस्थितियाँ हैं। हम स्पष्ट रूप से ऐसी सभी स्थितियों को न्यायिक कंप्यूटर में नहीं डाल सकते क्योंकि वे एक अपूर्ण और लहरदार समाज में ज्योतिषीय गूढ़ता की तरह हैं। हालाँकि, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मृत्युदंड के क्षेत्र में धारा 354 में दी गई दंडादेश देने की नीति के अनुरूप शमन करने वाले कारकों की गुंजाइश और अवधारणा का अदालतों द्वारा उदार और व्यापक अर्थान्वयन किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों को कभी भी रक्तपिपासु नहीं होना चाहिए। हत्यारों को फांसी देना उनके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है। भारत संघ द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य और आंकड़े, यद्यपि अधूरे हैं, दर्शाते हैं कि अतीत में, न्यायालयों ने अत्यधिक दंड को अत्यधिक विरलता के साथ दिया है-एक ऐसा तथ्य जो उस सावधानी और करुणा की पुष्टि करता है जो उन्होंने हमेशा इतने गंभीर मामलों में अपने दंडात्मक विवेक के प्रयोग में लिया है। इसलिए, इस फिक्र को आवाज़ देना अत्यावश्यक

है कि हमारे द्वारा बताए गए व्यापक उदाहरणात्मक दिशानिर्देशों की सहायता से, न्यायालय धारा 354 (3) में उल्लिखित विधायी नीति के उच्च मार्ग पर निर्देशित सदैव अधिक सतर्कता और मानवीय चिंता के साथ कठिन कार्य का निर्वहन करेंगे। अर्थात् हत्या के दोषी व्यक्तियों के लिए आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है। मानव जीवन की गरिमा के लिए एक वास्तविक और स्थायी फिक्र कानून के साधन द्वारा जीवन को समाप्त करने के प्रतिरोध को दर्शाती है। दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों को छोड़कर जिनमें वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।"

14. बहरहाल, क्योंकि बलात्कार का अपराध साबित नहीं किया गया है और चूंकि हत्या का अपराध संदेह से परे साबित किया गया है, इसलिए अभियुक्त भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। उपरोक्त कारणों के मद्देनजर, विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने और उस पर मृत्युदंड

लगाने का फैसला रद्द किया जाता है। तथापि, भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। उपर्युक्त शर्तों में अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

न्यायाधीश (एन वी रमना)

न्यायाधीश (मोहन एम. शांतनागौदर)

न्यायाधीश (मुकेश कुमार रसिकभाई शाह)

नई दिल्ली

14 नवंबर, 2018

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।